भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 777
उत्तर देने की तारीख : 02.12.2021

अल्पसंख्यक अधिनियम

777. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35क हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने हेतु अल्पसंख्यक अधिनियम लागू किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर में उक्त अधिनियम लागू होने से कितने अल्पसंख्यक परिवारों के लाभांवित होने की संभावना है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ग): जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की 2019 संख्या 34 (क्रम संख्या 63), की अधिसूचना के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के साथ जैसा कि देश के अन्य हिस्सों में लागू है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों तक भी बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 370 के खात्मे ने जम्मू–कश्मीर और लेह–लद्दाख में प्रगति और समृद्धि की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया है। 170 केंद्रीय कानून, जो पहले लागू नहीं थे, अब इस क्षेत्र में लागू कर दिए गए हैं। 334 राज्य कानूनों में से, 164 कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और 167 कानूनों को भारतीय संविधान के अनुसार अनुकूलित किया गया है।

अब जम्मू–कश्मीर और लेह–लद्दाख के लोग भी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1994, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, परिसीमन अधिनियम, 2002, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, आधार (वित्तीय और अन्य

सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम 2016, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 आदि जैसे कई महत्वपूर्ण अधिनियमों का लाभ लेने में सक्षम हैं। जहाँ तक अल्पसंख्यकों सहित समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए लागू किए गए अधिनियम, जो अब जम्मू और कश्मीर पर भी लागू हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, वक्फ अधिनियम, 1995 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2005, आदि हैं। इसके अलावा, अब अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के बाद अन्य सामाजिक–आर्थिक सुधार भी लागू किए गए हैं।

अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू–कश्मीर के लोग भी विकास प्रक्रिया के बराबर के भागीदार बन गए हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जम्मू–कश्मीर के लोगों को भी काफी लाभ हुआ है, लोगों को मिलने वाले कुछ प्रमुख लाभ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- सामाजिक–आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जम्मू–कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री विकास पैकेज। तत्कालीन राज्य के पुनर्गठन के बाद, जम्मू और कश्मीर में 58,477 करोड़ रुपये की 53 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को 2020–21 के दौरान 30,757 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। 98.3% मतदान के साथ पहली बार प्रखंड विकास परिषद के चुनाव हुए। हाल ही में हुए जिला स्तरीय चुनावों में भी रिकॉर्ड भागीदारी रही थी। चुनाव का उपरोक्त सफल संचालन लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी का प्रतीक है।
- 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत जम्मू–कश्मीर में गरीब वर्ग के लगभग 1. 77 लाख लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपचार दिया गया है। 'पीएम किसान योजना' से जम्मू–कश्मीर के 12 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। 'सौभाग्य योजना' से 3,87,501 लोग, 'उज्ज्वला योजना' से 12,60,685 लोग, 'उजाला योजना' से 15,90,873 लोग लाभान्वित हुए हैं। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से कुल 8,88,359 लोग लाभान्वित हुए हैं। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1.34 लाख घरों का निर्माण किया गया है।

- 50 नव स्वीकृत महाविद्यालयों में से 48 महाविद्यालयों को लगभग 6,700 छात्रों के साथ चालू कर दिया गया है।
- 7 नए मेडिकल कॉलेज संचालित/अनुमोदित किए गए; इसके अलावा, 5 नए नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी गई।
- आईआईटी जम्मू को अपना कैंपस मिल गया और एम्स, जम्मू का काम भी शुरू हो गया है।
- जम्मू–कश्मीर से बाहर शादी करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

****